न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 14/2013 (बांसवाड़ा डिक्री)

टीटा पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बदामीलाल पिता श्री रूपाजी, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नातु पिता रूपजी, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रामजी पिता रूपजी, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. प्रभुलाल पिता रूपजी, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. नागजी पिता श्री दला, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. मगन पिता श्री माना, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. माना पिता श्री केशव, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. रूपजी पिता श्री केशव, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 11.07.2013, प्र.सं. 154/2007

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 28–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद धारा 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 30 रकबा 3.25 हैक्टर गांव सालिया में स्थित है, जिस पर वादी का शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा लगान अदा करता हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, परन्तु पिछले 25 दिनों से प्रतिवादीगण वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा झगड़ा–फसाद करते हैं। अतएवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है, वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अवैध तरीके से अपना नाम जुड़वा लिया है। विशेष कथन में निवेदन किया कि पूर्व में वादग्रस्त भूमि खातेदार कालिया के नाम दर्ज थी, मोती एवं श्रीमती दली के नाम दर्ज थी, जिनके द्वारा किसी प्रकार का हस्तान्तरण वादी को नहीं किया गया है, लेकिन वादी ने त्रुटि पूर्ण रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 30–08–1975 को उद्धृत कर जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 107 में वादी टीटा के नाम की स्वीकृति नहीं दी गयी है व नाम को काट दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मोती का गोद पुत्र है एवं बचपन से मोती के साथ रहकर उसकी सेवा चाकरी की। इस कारण मोती व श्रीमती दलु की मृत्यु के बाद वही एक मात्र उत्तराधिकारी है। इन्हीं भूमियों के संबंध में प्रकरण 138/2007 गोबरा व अन्य बनाम टीटा के विरूद्ध विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना प्रतिदावा प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा चाही है। उक्त प्रकरण पूर्ववर्ती होने से एवं न्यायालय में विचाराधीन होने से धारा 10 सी.पी.सी. के तहत वादी का वाद इस न्यायलय में चलने योग्य नहीं है। वादी मूल पुरूष कालिया का वारिस नहीं है अपितु नगजी का वारिस है। वादग्रस्त भूमियों से वादी का कोई सम्बन्ध है। अतएवं राजस्व अभिलेखों से उसका नाम हटाया जाना आवश्यक है।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 4 तनिकयात कायम की :–

1. आया कि वादी की स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 66 के कुल सर्वे नंबर 30 रकबा 3.25 हैक्टर वाके ग्राम

सालिया तहसील बागीदौरा में स्थित है तथा वादी की शान्ति पूर्व कब्जे काश्त की है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं है। दली बेवा मोती की मृत्यु हो चुकी है ? ..... वादी

2. आया कि प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करते हैं ? ..... वादी

3. आया कि वादी ने बिना किसी वैधानिक आदेश एवं वैध अधिकार के अपना नाम प्रश्नगत भूमि के आधे हिस्से के कृषक के रूप में जुड़वा लिया है ? ..... प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11–07–2013 से वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बदामीलाल को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–08–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय शहादत, राजस्व रेकार्ड व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार कालिया पिता हूरजी थे जिनका एक मात्र पुत्र मोतिया पांव से लगड़ा होने से कालिया ने अपने नजदीकी रिश्तेदार अपीलान्ट टीटा को जाति रीति रिवाज से पुत्र बनाकर अपने पास रखकर कृषि भूमि संभलाई तथा अपने साथ मकान में रखा। कालिया की

सेवा चाकरी एवं क्रिया कर्म टीटा ने ही किया तथा कालिया के फोत होने पर राजस्व रेकार्ड में मोतिया के साथ टीटा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया, तब से टीटा बेरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है। मोतिया के फोत होने पर मोतिया की पत्नी दली के साथ अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है तथा श्रीमती दली के फोत होने के बाद वादी/अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। खातेदार कालिया, मोतिया एवं श्रीमती दली ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलान्ट के स्वत्व को चुनौती नहीं दी। वादी/अपीलान्ट व श्रीमती दली अशिक्षित होने का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को भूमि का खातेदार घोषित करने में भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कयासी आधारों पर होकर त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलान्ट का वाद प्रमुखता स्थाई निषेधाज्ञा के लिए था, जिसके संबंध में वांछनीय यह होता है कि वादी का स्वत्व एवं कब्जा दोनो प्रमाणित होना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलान्ट/वादी के स्वत्व जिस आधार पर उत्पन्न हुए हैं, उस नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कालिया की विरासत से मोतिया के साथ टीटा के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। फिर भी टीटा का नाम कालिया की विरासत से जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया है, जो स्पष्टया राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितता है।

दूसरा हम यह भी पाते हैं कि किसी खातेदार के पुत्र होने पर तथा उसके विकलांग होने पर उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार विरासत से प्राप्त होते हैं, इस बाबत् न तो कोई परामपरा है, न ही कानून। इन स्थितियों में स्पष्टतया अपीलान्ट/वादी की राजस्व रेकार्ड में जो प्रविष्टि हुई है, वह त्रुटि पूर्ण है तथा सिर्फ खाते में नाम दर्ज हो जाने के आधार पर, जबकि इसके विपरीत नामान्तरकरण से कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुई हो, तो जमाबन्दी में उसके नाम की गयी प्रविष्टि प्रथम दृष्टया अविधिक एवं त्रुटि पूर्ण है। तद्नुसार अपीलान्ट/वादी का जब स्वत्व ही विधिक नहीं है तो उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का प्रथम दृष्टया

कोई आधार नहीं है एवं इस अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद जो खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

वहीं इसके साथ ही हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश शुदा अतिरिक्त अभिकथन के आधार पर जिस पर वादी/अपीलान्ट को जवाब पेश करने का ही अवसर नहीं मिला है, उक्त प्लीडिंग्स के आधार पर काउण्टर क्लेम के लम्बित हुए बिना तथा इस आशय की तनकी भी नहीं थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को वादी/अपीलान्ट का नाम हटाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, वह भी त्रुटि पूर्ण है। प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट यह कहता है कि किसी अन्य प्रकरण में उसका काउण्टर क्लेम लम्बित है, जिसमें वादी टीटा भी पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को जब इस प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का काउण्टर क्लेम ही नहीं था तथा तनकी भी नहीं बनी है तो प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट को वादी टीटा का नाम हटाकर खातेदार घोषित किये जाने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी घोषणात्मक आज्ञा भी अपास्त योग्य है।

उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का जो वाद खारिज किया है उसे यथावत रखा जाता है, वहीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बदामीलाल के पक्ष में की गयी खातेदारी घोषणा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2013 को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

टीटा पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.) बनाम **बदामीलाल पिता श्री रूपाजी, जाति भील, निवासी सालीया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**14/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**07**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**03**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री मुकेश द्विवेदी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का जो वाद खारिज किया है उसे यथावत रखा जाता है, वहीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बदामीलाल के पक्ष में की गयी खातेदारी घोषणा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2013 को अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**03**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।